

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/2020/7/

दिनांक : 29.05.2020
16.06.2020

ई- निविदा सूचना संख्या 2/2020-21

1. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर (चिकित्सा पक्ष) में दर संविदा पर एक वर्ष हेतु जनरल/बिजली/लकड़ी के सामान/ आईटम की आपूर्ति हेतु मूल निर्माता, अधिकृत विक्रेता, बोनाफाईड डीलर्स, एम.एस.एम.ई. एवं अन्य प्रतिष्ठित फर्मों से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा के साथ निविदा फॉर्म शुल्क 500/- रु., अमानत राशि 18000/- रु. निदेशक (जन स्वा.) के पक्ष में बैंकर चेक/डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी, साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क प्रबंध निदेशक आर. आई.एस.एल.के पक्ष में 500/-रु का बैंकर चेक /डी.डी जमा करवानी होगी। उक्त राशियों के अभाव में तथा निर्धारित समय पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. जमा सभी शुल्क/बैंकर चेक, शपथ पत्र तथा नमूने दिनांक 30.06.2020 को मध्याह्न 12.00 बजे तक स्थाई भण्डार अनुभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में आवश्यक रूप से जमा कराना/ड्रॉप बॉक्स में रखना अनिवार्य होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ बैंकर चेक/डी.डी, शपथ पत्र एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड की जानी है। ध्यान रहे तकनीकी निविदा साथ संलग्न स्कैन दस्तावेजों के साथ वित्तीय बिड अपलोड नहीं की जानी है।
5. निविदादाता द्वारा निविदा की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in तथा एस.पी.पी. पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है/डाउनलोड की जा सकती है।
6. निविदा आवेदन वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से किया जाना है।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) को होगा।
8. यदि बिड खोलने कि दिनांक को राजपत्रित अवकाश होता है तो बिड आगामी कार्यदिवस को खोली जाएगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

UBN NO. MHS2021 GSR 000434

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
ई- निविदा सूचना संख्या 2/2020-21

जनरल/बिजली/लकड़ी का सामान/सामग्री आपूर्ति हेतु ई-निविदा का विवरण:-

जनरल/बिजली/लकड़ी का सामान/सामग्री आपूर्ति	9 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुमानित
निविदा फार्म शुल्क	500/- रु. (निदेशक, जन स्वा. के नाम)
निविदा के साथ संलग्न अमानत/धरोहर राशि	18000/- रु. (निदेशक, जन स्वा. के नाम)
आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क	500/-रु (बैंकर चेक /डी.डी प्रबंध निदेशक आर.आई.एस.एल.के पक्ष में)
निविदा अपलोड/प्रारम्भ करने की तिथि व समय	17.06.2020
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	29.06.2020 (05.00 P.M.)
तकनीकी निविदा जमा कराने की तिथि व समय	30.06.2020 (12.0 P.M.)
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	30.06.2020 (01.00 P.M.)
तकनीकी निविदा खोलने का स्थान	स्थाई भण्डार अनुभाग, निदेशालय, चि. एवं स्वा. सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम	
अधिकृत प्रतिनिधि (निविदा पर हस्ताक्षरकर्ता) का नाम	
फर्म द्वारा निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों की संख्या	
फर्म का नाम व पत्राचार का पता	
मोबाईल नं.	टेलिफोन/फैक्स नं.
ई-मेल आई.डी.	

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता



PART-A

TECHNICAL BID

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR

1. Tender for purchase of general items to be used for office purpose

1	Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s
2	Constitution of Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
3	Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax)	
4	Email Id	
5	Registration No . Shop Act.	
6	Annual Average Turn Over (2018-19 & 2019-20)	
7	Pan Card No.	
8	GST No.	
9	Registration Certificate No. (Form Vat 03)	
10	Tin No.	

2. The tender fee amounting to Rs. 500/- has been deposited vide / Banker Cheque/ Demand Draft Number _____ dated _____ payable to Director (PH), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur. & The Tenderer R.I.S.L ,fee Rs.500/- has deposited vide banker Cheque number.....datedpayble to M.D, RISL, jaipur.



3. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).
4. Goods will be delivered within a period of 7 days from the date of Issues order.
5. The rates quoted above are valid upto 90 Days from the date of the opening of the Technical bid. The Supply period can be extended with mutual agreement. in under Rules and claues of RTTP Rules 2013 and RTTP act 2012.
6. Details of earnest money is as under :

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Bid Security	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1	General items to used for office purpose	Rs.9000000/-	Rs. 18000/-		

7. G.S.T. Clearance Certificate are submitted herewith.
8. Authorization of manufacturer/Distributor/Dealer/ sub Dealer/ Reputed firms/suppliers etc. is also enclosed.
9. All conditions mentioned on Price schedule are accepted.
10. One sets of samples are accompanied for articles marked within the schedule.
11. Enclose Previous supply/performance of the tenderer with the name of the depts.
12. Supply capacity.

**Name of Singnature of Tenderer
with Rubber Stamp**



—: ई-निविदा के लिए निविदा एवं सविदा की शर्तें :-

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ चाहे गये समस्त दस्तावेज, शुल्क, प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र आदि की स्कैन प्रति अपलोड की जानी है। धर रहे तकनीकी बिड के साथ कहीं भी वित्तीय बिड अपलोड ना की जावें। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ वित्तीय बिड को किसी भी कारण से अंकित किया पाया गया तो ऐसी निविदा को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राईटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा जिनके अभाव में निविदादाता प्रस्तुत निविदा को प्रथम दृष्टतया अस्वीकार कर दिया जायेगा:-
 - (i) पूरी धरोहर राशि/निविदा शुल्क की प्राप्ति।
 - (ii) हस्ताक्षरित निविदा शर्तें।
 - (iii) प्रपत्र अ,ब,स, द ।
 - (iv) जीएसटी कर चूकती प्रमाण-पत्र (दिनांक 31.03.2020 तक)
 - (v) सैम्पल (एक सैट में) जिनका कोई भुगतान देय नहीं होगा/सैम्पल/ठीक से पैक किया जाकर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। सैम्पल उपलब्ध नहीं कराने की दशा में फर्म को तकनीकी निविदा में असफल घोषित कर दिया जावेगा।
 - (vi) फर्म के संविधान सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।
 - (vii) निविदादाता फर्म द्वारा राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में औसत 9.00 लाख रु. प्रतिवर्ष संतोषप्रद रूप से सम्बन्धित सामग्री सप्लाई कार्य किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - (viii) निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आदि इस विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा पोर्टल वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जाने की स्थिति में निदेशक (जन स्वा.) के नाम निविदा फार्म शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी./बैंकर चैक तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाकर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 - (ix) उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा, उक्त में से किसी बिन्दु की सूचना संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों की वित्तीय बिड खोली जावेगी, जिसकी समय एवं तिथि से बाद में ऐसी योग्य निविदाकारों को सूचित किया जायेगा।
2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
3. "वास्तविक डीलरों फर्मों द्वारा निविदाएँ:- निविदाएँ सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये प्रपत्र 'अ' में फर्म के लेटर हेड पर घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
4. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में फर्म द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर दें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

6. निविदादाताओं को जीएसटी चुकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं क्रम संख्या 1 से 46 तक की शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
8. दरें माल भाड़ा/खर्च एवं समस्त कर सहित प्रस्तुत की जानी हैं। दरें स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखी जावें। इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
9. दरें गतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जावे। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए किन्तु जीएसटी को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
10. **दर संविदा:-** दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्याधीन होगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
11. **विधिमान्यता:-** निविदा की विधिमान्यता 90 दिवस की होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
14. **विनिर्देश :-**
 - (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
 - (ii) कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलों में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

- (iii) वारंटी/गारंटी खण्ड:- निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मांग/सामान निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसके स्थान पर वांछित गुणवत्ता का सामान निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगा। निर्धारित समयावधि में यह सामान आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में परिनिर्धारित शास्ति के अनुरूप वसूली की जायेगी।
- (iv) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत माल/सामान निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता के अनुसार नहीं होने पर उसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (v) मशीनों और उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जायेगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी निर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकेता हो।
- (vi) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता से निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाए, वार्षिक रख-रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रख-रखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।
15. निरीक्षण :- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालो/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
- (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते तथा टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय- पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
16. नमूने:- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के नमूने प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जावेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए।
17. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।
18. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
- निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समाहत् कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट-फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जायेंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।



20. प्रदाया जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण या सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
21. **नमूने निकालना :-** परीक्षणों के मामलों में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक सेट में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दिया जाएगी, एक सेट को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा एक सेट सदर्थ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
22. **परीक्षण प्रभार :-** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाया किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
23. **रद्द करना :-**
- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उनहे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा। निर्धारित समय के पश्चात् सामान की आपूर्ति किये जाने पर एलडी क्लोज के अनुसार शास्ति वसूली की जायेगी।
 - तथादि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिन आवश्यकताओं के कारण उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य समझा जाए तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अनुमोदित दरो में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।
 - रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
 - निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट-फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामलों में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
 - प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
- (i) **सुपूर्दगी अवधि :-** निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-
- निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर जी.एफ. एण्ड ए.आर. पार्ट-II के नियम 58(3) के अनुसार राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपूर्दगी अवधि
---------	----	--------	----------------

- (ii) **मात्रा की सीमा - आदेश को फिर से देना :-** आरटीटीपी रूल्स 2013 के नियम 73 के अन्तर्गत दी शर्तों के अनुसार एवं निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा में बताई गई सामग्री से 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा तक सामग्री की सप्लाई के लिये आदेश दे सकता है।
- (iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

(iv) उक्त प्रक्रिया हेतु RTTP नियमों 2013 व जी.एफ.एण्ड.ए.आर. की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

25. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :-

(क) आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार निविदा के साथ 18,000/- रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप से भी जमा करायी जानी चाहिए :-

(i) नकद - शीर्ष " 8443 - सिविल निक्षेप - 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग भवन, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का (विलोपित) निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी। लघु औद्योगिक इकाईयों को निदेशक, उद्योग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये स्थाई पंजीयन प्रमाण के आधार पर बयाना राशि के भुगतान करने से आंशिक छूट दी गई हैं और निविदा की संभावित राशि पर 1/2 प्रतिशत बयाना राशि देनी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं के पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

26. बयाना राशि का समपहरण:- बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :-

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

27. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-

(i) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रु0 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि कि रूप में निम्न प्रकार होंगे :-

(क) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिस्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण-पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मर्दों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण-पत्र मूल रूप में या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

28. **बीमा :-**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन एवं नुकसान द्वारा या आग, बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे - युद्ध, विद्रोह, दंगों आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

29. **भुगतान**

(i) निविदादाता को किसी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

(iii) विवादस्पद मर्दों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

30. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिनिर्धारित शास्ति :-** परिनिर्धारित शास्ति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

3. परिनिर्धारित शास्ति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित शास्ति सहित या रहित की जा सकेगी।

31. **वसूलिया :-** परिनिर्धारित शास्ति, कम प्रदाय, टूट-फुट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से कि जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फुट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित शास्ति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

32. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है तो इससे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

34. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

35. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि सस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

37. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:- आरटीपीपी अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

38. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी।

39. निविदा के किसी भी भाग में आंशिक अथवा पूर्णतयः संशोधन अथवा निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) के पास सुरक्षित रहेगा।

40. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
41. निविदा की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, एवं RTPP ACT-2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।
42. सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। वित्तीय बीड में दरें माल-भाड़ा, समस्त कर खर्च सहित (F.O.R.) ही प्रस्तुत की जानी है। अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।



निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता व मोहर
दूरभाष सं.

43. COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

- a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion. Bid rigging or any- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
- f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) Disclose conflict of interest, if any;and
- h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

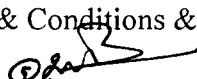
Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder , in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer incharge/ consultant for the contract.

I/We hereby agree all above terms & Conditions & have signed on each page as a taken of acceptance.



44. GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

(1) Filling an appeal

If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. Action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision on action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2) , or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority , the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity , as the case may be , may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

- (a) Determination of need of procurement:
- (b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process:
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process:
- (e) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority of Second Appellate Authority .as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.



(6) Fee for Filling appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non- refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

45. Additional Conditions of Contract

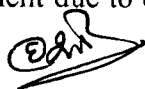
1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- i. if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall



not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.

- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

46. The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.) Medical & Health Services, Raj., Jaipur, The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Health Secretary, Medical & Health Department, Rajasthan, Jaipur.



SignatureTendrers

Annexure - A :- COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

- i) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- j) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- k) Not indulge in any collusion. Bid rigging or any- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- l) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- m) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
- n) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- o) Disclose conflict of interest, if any; and
- p) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- II. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to
 - h. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - i. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - j. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
 - k. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
 - l. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder, in more than one Bid; or
 - m. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
 - n. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer incharge/ consultant for the contract.



Annexure – B :- DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS :

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
..... in response to their Notice inviting Bids No.
Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we not insolvent, receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any off the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:



Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure – C :- GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

(8) Filling an appeal

If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. Action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision on action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(9) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.

(10) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2) , or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority , the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity , as the case may be , may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(11) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

(f) Determination of need of procurement:

(g) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process:

(h) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(i) Cancellation of a procurement process:

(j) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(12) Form of Appeal

(d) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(e) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(f) Every appeal may be presented to first Appellate Authority of Second Appellate Authority .as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(13) Fee for Filling appeal

(c) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non- refundable.

(d) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(14) Procedure for disposal of appeal

(e) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any , to the respondents and fix date of hearing.

(f) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate

Annexure – D :- Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (v) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (iv) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (v) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.
- (vi) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director (P.H.) Medical & Health Services, Rajasthan Jaipur, The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical & Health Department, Rajasthan Jaipur.

Signature Of Bidder
With Rubber Stamp



Authority, as the case may be, shall.

(iii) Hear all the parties to appeal present before him; and

(iv) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(g) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(h) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edwin", is written over a horizontal line.

FORM NO. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official Address. If any:
 - (iii) Residential Address
2. Name and address of the respondent (S)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy) , or a statement of a decision , action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Ground of Appeal:

.....
.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7.

Prayer :

.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature



निविदादाता द्वारा फर्म के लेटर हेड पर घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोकविक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

हमारी फर्म को आज दिनांक तक किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा एवं हमारे द्वारा जमा धरोहर राशी को जब्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता व मोहर
दूरभाष सं.



औसत वार्षिक टर्न ओवर की रूजना

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स

का पिछले दो वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर की राशि
1.	वर्ष 2018-19	
2.	वर्ष 2019-20	
	योग	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

चार्टर्ड अकाउन्टेंट के
हस्ताक्षर मय सील

निविदा दाता के
हस्ताक्षर मय सील



DECLARATION by the Bidder on Non judicial Rs.100 stamp paper
(To be filled by the Bidder)

To,
 {Procuring entity},

In response to the NIB Ref. No.-----

dated----- for

{Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/Auth.Sign. Of

I/ We hereby declare that presently our

Company/ firm----- at the time of bidding,; -

- a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
- d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years
- e) does not have any debarment by any other procuring entity
- f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- g) does not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
- i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Thanking you,

Name of the Bidder: - Authorised

Signatory: -

Seal of the Organization: Date:

Place:

**PART-A
TECHNICAL BID**

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR**

1. Details of Bidder

1	Name & Postal address of the firm submitting the tender	M/s
2	Constitution of the Firm (Proprietor/Partnership/Company)	
3	Name of Tenderer	
4	Mobile/Contect Numbers	
5	Email Id	

**Name of Signature of Tenderer
With Rubber Stamp**



कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटमस् की सूची

तकनीकी बिड (भाग-I)

(अ) जनरल सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	100	
2	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	50	
3	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	100	
4	डस्टबीन प्लास्टिक ढक्कन (सादा)	50	
5	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	200	
6	दीवार घडी 1 x 1 फुट	20	
7	इलेक्ट्रीक घंटी	20	
8	रिमोट घंटी	10	
9	पानी के गिलास (यारा के समकक्ष)	200	
10	पानी के गिलास(बोरोसीस के समकक्ष)	100	
11	कप सेट बोन चाइना	50 सेट	
12	कप पलेट सेट (बोन चाइना के समकक्ष)	30 सेट	
13	केलकुलेटर 12 डिजीट	50	
14	पंचिंग मशीन मॉडल नं.पी-30	30	
15	पंचिंग मशीन मॉडल नं. 280	30	
16	पंचिंग मशीन मॉडल नं. डीपी-600	20	
17	रूम परफ्यूम (कम्पनी मेक)	100	
18	वाहन (कार) परफ्यूम (कम्पनी मेक)	20	
19	स्टेपलर मशीन नं. 10	40	

20	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	40	
21	स्टेपलर मशीन नं. एचपी-45	30	
22	टेबिल ग्लास 3X2 (5 M.M.)	50	
23	सर्विस ट्रे मिडियम साइज प्लास्टिक	10	
24	ताला बडी साइज 7 लीवर	50	
25	थर्मस 1 लीटर	10	
26	टी-कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट	
27	तौलिया फुल साइज (Size 30" X 60")	100	
28	नेपकिन	100	
29	पेन्सिल सेल	200	
30	बरसाती	10	
31	डाक बेग	10	
32	कॉलीन	10	
33	इलेक्ट्रीक टी केटली	10	
34	टेलीफोन इंस्ट्रुमेंट	05	
35	एडजेस्टेबल टेबल टॉप स्टेण्ड (8 M.M.)	5	
36	हिट स्प्रे	30	
37	लिक्वीड सोप 200 एमएल	50	
38	हाथ धोने का साबुन 100 ग्राम	100	
39	प्लास्टिक बोतल 1 लीटर (फ्रिज हेतु)	30	
40	नेम प्लेट 12X5 एकेलिक प्लेट व गोल्डन विनायल के अक्षरों में	60 नग	
41	नेम प्लेट 12X6 एकेलिक प्लेट व गोल्डन विनायल के अक्षरों में	20 नग	
42	प्लास्टिक जॉर 1 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
43	प्लास्टिक जॉर 2 किग्रा चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	200	
44	प्लास्टिक बोतल 500 एमएल चौड़ा मुँह (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	500	
45	कॉच बोतल 1 लीटर (खाद्य सामग्री नमूने हेतु)	100	



(ब) बिजली का सामान

क्र.सं.	नाम सामग्री / आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी / मेक का नाम
1	सीएफएल 18 वॉट	50 नग	
2	सीएफएल 11W / SU-865 (2 PIN)	150 नग	
3	ट्यूबलाइट रॉड 28 वाट Essential (Extra Slim)	100 नग	
4	ट्यूबलाइट चॉक 28 वाट Essential (Extra Slim)	50	
5	एक्सटेन्शन बोर्ड (लकड़ी) - 4"x10" (3 साकिट, 3 स्वीच व 1 MM वायर 3 मीटर सहित)	100	
7	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	100	
8	मल्टी प्लग 15 एएमपी	50	
9	रेगुलेटर (सीलिंग फैन)	100	
10	स्विच 5 एएमपी	200	
11	सॉकिट 5 एएमपी	150	
12	स्विच 15 एएमपी	50	
13	सॉकिट 15 एएमपी	50	
14	टेप रोल छोटी (लाईट के उपयोग हेतु)	100	
15	थ्री पिन टॉप 5 एएमपी	150	
16	थ्री पिन टॉप 15 एएमपी	100	
17	वायर बण्डल फ्लेक्सिबल	10	
18	वायर बण्डल 1 एएमएम	10	
19	वायर बण्डल 1.5 एएमएम	10	
20	वायर बण्डल 2.5 एएमएम	10	
21	मल्टी प्लग 5 एएमपी	30 नग	
22	ए.सी. कन्डेनसर शॉकिट मय टॉप	15 नग	



23	2 पिन टॉप 5 एएमपी	50	
24	2 पिन शॉकिट 5 एएमपी	30	
25	बेल स्वीच 5 एएमपी	50	
26	एम.सी.बी. 32 ए.एम.पी.	50	
27	एम.सी.बी. 16 ए.एम.पी.	100	
28	आईसोलेटर 63 ए.एम.पी.	20	
29	इन्टरनेट केबल वॉयर	5 बण्डल	

(स) लकड़ी के आईटम्स

क्र.सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	प्लाई बोर्ड 19 MM 6X4	5	
2	प्लाई बोर्ड 19 MM 8X4	5	
3	प्लाईवुड 12 MM 6X4	5	
4	प्लाईवुड 8 MM 6X4	5	
5	प्लाईवुड 6 MM 6X4	10	
6	प्लाईवुड 4 MM 6X4	10	
7	सनमाईका सीट 1 MM 8X4	4	
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 5'X2.5' X 1"	10	
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे) 4'X2.5' X 1"	20	
10	डोर क्लोजर	20	
11	फेवीकॉल (1 लीटर पेक में)	10 लीटर	
12	सांकल कून्दे 12 इंच (मय नट बोल्ट)	20 नग	
13	सांकल कून्दे 14 इंच (मय नट बोल्ट)	20 नग	
14	ताले (टेबल)	50 नग	
15	ताले (अलमारी)	50 नग	
16	लकड़ी 6 इन्च चौड़ी 1.5 इन्च मोटी	100 फीट	

नोट : जनरल, बिजली व लकड़ी के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

Signature of Tenderer with
Rubber stamp

